कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 1415074 दि0 30-9-14

पत्र संख्या-आई0टी0-ई-रिटर्न-(2014-15) / 567 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // सितम्बर, 30 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कार्पो0/वि0अनु0शा0)
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
समस्त असि0 कमिश्नर (कर निर्धारण)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों को सुविधा देने हेतु ई-रिटर्न की व्यवस्था पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी है। वैट व्यवस्था के अन्तर्गत वार्षिक विवरण के प्रारूप को सरलीकृत करते हुए फ़ार्म 52 / 52A / 52 B "Annexure of consolidated details" नये प्रारूप शासनादेश संख्या - क0नि0-2-684 / ग्यारह-9(295)/07-उ0प्र0 वैट नियमावली-08-आदेश- (114)-2004 दिनांक 02-06-2014 के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है। अत: मासिक / त्रैमासिक रिटर्नों के अनुरूप ही फ़ार्म 52 / 52A / 52B की फ़ाइलिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन निष्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया है। वार्षिक विवरण प्रारूप की ई-फ़ाइलिंग हेतु आवश्यक मॉड्यूल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

"Annexure of consolidated details" (फ़ार्म 52/52A/52B) के ऑन लाइन फ़ाइल करने की प्रक्रिया निम्न चरणों में सम्पादित की जायेगी :-

1- व्यापारी को वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन कराना :-

(a) यदि व्यापारी पूर्व से ही ई-रिटर्न फ़ाइलिंग हेतु Registered है तो पुन: वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। वे अपने पूर्व से ही प्रयोग किये जा रहे पासवर्ड के माध्यम से ही ई-रिटर्न फ़ाइल कर सकते है।

(b) व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन कराने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर E-Services Registration पर Click किया जाएगा।

(c) ई-सर्विसेज़ हेतु register करने के लिए व्यापारी द्वारा TIN सम्बन्धित Entry Field में अंकित किया जाएगा। टिन अंकित करने पर व्यापारी का नाम, पता तथा कर निर्धारण कार्यालय डेटाबेस से स्वत: अंकित हो जायेगा। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा अपना मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 अंकित किया जाएगा। इन सूचनाओं को SUBMIT करके प्रिन्ट आउट अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करके व्यापारी सुविधा केन्द्र में जमा किया जाएगा।

(d) व्यापारी सुविधा केन्द्र में प्रिन्ट आउट जमा करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकरी द्वारा अधिकतम 03 कार्यदिवसों के अन्दर ऑनलाइन Approval किया जाएगा।

(e) कर निर्धारण अधिकारी के Approval के पश्चात Password रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जाएगा।

2- व्यापारी द्वारा ऑनलाइन वार्षिक विवरण दाखिल करना :-

(a) व्यापारी द्वारा विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर उपलब्ध Offline Tools Section में से फ़ार्म 52/52A/52B से सम्बन्धित Offline Tool Download किया जाएगा।

(b) Download करने के पश्चात Offline Tool Folder में उपलब्ध setup file पर Double Click करके Offline Tool को कम्प्यूटर पर Install किया जाएगा।

(c) Offline Tool Folder में उपलब्ध Excel Sheets में व्यापारी द्वारा सम्बन्धित विवरण को अंकित किया जाएगा। विवरण को अंकित करने के पश्चात Offline Tool के माध्यम से Excel File का Validation ही प्रदर्शित किया जाएगा। यदि Excel Sheet में कोई त्रुटि है तो Tool द्वारा स्वत: ही प्रदर्शित की जाएगी। इन त्रुटियों की समाप्ति के पश्चात पुन: Validate करके zip फ़ाइल Offline Tool के माध्यम से Generate की जाएगी।

(d) इसके पश्चात Offline Tool में ही व्यापारी द्वारा पासवर्ड तथा फ़र्म का PAN अंकित किया जाएगा। इसके पश्चात सम्बन्धित Zip file को Select करके Upload किया जाएगा। Upload करने के पश्चात Tool में उपलब्ध 'Remarks' फ़ील्ड में Upload हुए समस्त Annexure का विवरण उपलब्ध हो जाएगा।

(e) फ़ार्म 52/52A/52B के सफलतापूर्वक Uploading के पश्चात Acknowledgement Receipt का Print out अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करके समस्त निर्धारित Enclosures जैसे फार्म-23, आडिटेड बैलेन्स शीट, फार्म-XXXI, करमुक्ति या रियायती दर के केन्द्रीय फार्म-C, फार्म- F, फार्म-E1, फार्म-E2, फार्म-H, फार्म-I, फार्म- J, प्रवेश कर के फार्म- D, वैट के फार्म-E, फार्म-D आदि की Hard Copy के साथ व्यापारी सुविधा केन्द्र में Online Uploading के 07 कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।

(f) फ़ार्म 52/52A/52B के सफलतापूर्वक Uploading पर Message रजिस्टर्ड मोबाइल तथा ई-मेल पर प्रेषित किया जाएगा।

उपर्युक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई समस्या / सुझाव हो तो उसे विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in के home page पर Feedback Link के माध्यम से अवगत कराया जा सकेगा, जिसके आधार पर मुख्यालय द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

30.9.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।